

## केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17509

18 09 2024

विषय: IS 17509 : 2021 (प्रयोज्य बेबी डायपर — विशिष्टि में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन)।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17509 : 2021 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है । IS 17509 : 2021 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **22 फ़रवरी 2025** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17509 : 2021 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **22 फ़रवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना) वैज्ञानिक-बी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

## **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/16: 17509 18 09 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 17509: 2021 (Disposable Baby Diaper — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 17509: 2021 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 17509: 2021 is **22 February 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **25 February 2025** 

(Harish Meena) Scientist B (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

**Copy to: BIS Branch Offices**